न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 109 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लखा पुत्र हरचन्द
2. जोगा पुत्र हरचन्द
3. प्रतापा पुत्र हरचन्द जाति रावणा राजपूत निवासी लालानियों की ढाणी बाड़मेर जरिये आम खास मुख्तयार बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 117 / 2012 बअनवान लाखा वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रमेश सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया कि मौजा लालाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर में वादीगण / अपीलांट की खातेदारी की 60 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर अपीलांट / वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त पीढीयों से चला आ रहा है वादग्रस्त भूमि की पैमाईश के समय अपीलांट के पूर्वज हरचन्द ने नपवायी थी तथा सेटलमेंट अधिकारियों ने लालाणियों की ढाणी के बनाये नक्शे मे आईदानराम के नाम से खसरा संख्या 758 की भूमि 51.04 बीघा का नक्शा भी बनाया लेकिन मिसल बन्दोबस्त में गलती से 41.07 बीघा भूमि खसरा संख्या 759 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी वादीगण के पूर्वज हरचन्द के नाम से दर्ज कर दी। शेष खसरा संख्या 758 रकबा 09.17 बीघा दर्ज करना रह गई तथा खसरा संख्या 759 में 02

Scanned by CamScanner

बिस्वा ढाणी अपीलांट के पूर्वज हरचन्द के नाम दर्ज कर दी। शेष ढाणी के पास वाली भूमि खसरा संख्या 760 रकबा 08.14 बीघा गैर मुमकिन दर्ज कर दी परन्तु इस पुरे रकबे 60 बीघा पर अपीलांटगण/वादी काबिज पूर्वजो के समय से चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय पर में रखने की सूचना अपीलांट/वादीगण को नहीं दी गई। कैम्प मे अपीलकर्ता उपस्थित ही नहीं थे लेकिन उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र उक्त प्रकरण को निपटाने के उद्देश्य से अपीलकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमर्जी से निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में जबावदावा प्रस्तुत होने के बाद दोनों पक्षकारों के विवेचन के आधार पर तनकीयात कायम करनी आवश्यक थी तथा उक्त तनकीयात कायम करने के पश्चात अपीलांट/वादीगण एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की साक्ष्य ली जानी चाहिये उसके बाद ही उक्त निर्णय किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय पर में रखने की सूचना अपीलांट/वादीगण को नहीं दी गई। कैम्प मे अपीलकर्ता उपस्थित ही नहीं थे लेकिन उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र उक्त प्रकरण को निपटाने के उद्देश्य से अपीलकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमर्जी से निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में जबावदावा प्रस्तुत होने के बाद दोनों पक्षकारों के विवेचन के आधार पर तनकीयात कायम करनी आवश्यक थी तथा उक्त तनकीयात कायम करने के पश्चात अपीलांट/वादीगण एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादी की साक्ष्य ली जानी चाहिये उसके बाद ही उक्त निर्णय किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिला कब्जा गैर मुमकिन रड़ी राजस्थान सरकार के खाते में गत बंदोबस्त से आज तक चली आ रही है। अपीलाधीन आराजी पर काश्त व कब्जे समंबन्धी कोई राजस्व अभिलेख, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील

Scanned by CamScanner

आदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है तथा अतिक्रमी की हैसियत से राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट अपना वाद साबित नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अर्सा 15 दिन पूर्व अपीलकर्ता ने अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त प्रकरण की जानकारी चाही तब अपीलकर्ता को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अपीलकर्ता ने निर्णय की नकल मांगी जो नकल अपीलकर्ता को दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में प्रतिवादीगण का जबाव लिया गया तथा बिना किसी सूचना केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बाड़मेर आगोर पर प्रकरण को सुनवाई हेतु नियत किया गया तथा बिना तनकीयात कायम किये फैसला कर दिया। **इससे वादी पक्ष को अपने वाद को साबित कराने हेतु साक्ष्य/सबूत का भी अवसर नहीं मिला।** यह निर्णय विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना साक्ष्य/सबूत अनुमानों पर फैसला कर दिया गया। **वादी को अपना वाद सिद्ध करने हेतु उसे साक्ष्य/सबूत प्रस्तुति का पूर्ण अवसर दिया जाना न्यायसंगत है।** अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में अपील स्वीकार करने योग्य है।

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 117/2012 बअनवान लाखा वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में वाद में बाद तनकी कायम उभयपक्ष को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुति का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.08.2019 को उपस्थित रहें।

9/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner